निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ़ 1939 (श0)
(सं0 पटना 611) पटना, शुक्रवार, 14 जुलाई 2017

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना
1 जून 2017

सं0 22/नि0सि0(मोति0)–08–01/2011–822—श्री तेजनारायण राम, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, अतिरिक्त प्रभारी क्षेत्रीय आयुक्त–सह–अध्यक्ष गाडा, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध सिकटा प्रखण्ड के अन्तर्गत अन्वेषण एवं योजना प्रमण्डल रक्सौल (गाडा) के अन्तर्गत रॉगी वितरणी एवं मैनपुरा उप वितरणी आदि नहरों से सिचांई हेतु नालों के निर्माण में बरती गयी अनियमितता के लिए बिहार सरकारी सवेक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 593, दिनांक 07.04.16 द्वारा निम्नांकित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी :–

त्रिवेणी मुख्य नहर के वि0दू0 293.00 पर अवस्थित कोडेना पुल सह साइफन के क्षतिग्रस्त रहने के कारण उसके नीचे जलश्राव प्रभावित न होने के बावजूद पक्का नाला निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति दी गयी, जिससे सिंचाई उपलब्धि नगन्य रहा। इस प्रकार इन नालों के निर्माण कार्य पर किये गये व्यय का अपव्यय होना परिलक्षित है जिसके लिए वे दोषी है।

उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री राम द्वारा अपने बचाव–बयान में मुख्यतः निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गया :–

(i) नाला निर्माण का प्राक्कलन स्थानीय जनता की माँग एवं आवश्यकतानुसार अनुमोदित कार्यक्रम है आधार पर प्रमंडल से प्राप्त संशोधित कार्यक्रम के आधार पर की गयी है।

(ii) तदनुसार कार्यक्रम के आधार पर प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति तत्कालीन विकास आयुक्त–सह–अध्यक्षण गाडा द्वारा दिनांक 11.01.08 को दी गयी है।

(iii) प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर स्थल जाँचोपरांत कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित प्राक्कलन को अधीक्षण अभियंता के कार्यालय के सहायक अभियंता के द्वारा जाँच कर प्रस्तुत करने के पश्चात उनके द्वारा प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(iv) उड़नदस्ता जाँच में कहीं भी आरोप को सत्य नहीं पाया गया तथा नाला निर्माण के लाभकारी एवं उपयोगी बताया गया है।

(v) वर्तमान में रॉगी वितरणी के प्रभारी कार्यपालक अभियंता, त्रिवेणी नहर प्रमंडल, रक्सौल ने भी कोडेना पूल सह साइफन के नीचे रॉगी वितरणी एवं मैनपुरा उप वितरणी आदि से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है, का प्रमाण पत्र दिया गया है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री राम के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया। उक्त की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी जिसमें यह पाया गया कि निम्न तथ्यों के आलोक में उनके विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया है :–

(i) क्षेत्रीय विकास आयुक्त–सह–अध्यक्ष गाडा द्वारा दिये गये प्रशासनिक स्वीकृति एवं स्वीकृति कार्यक्रम के आधार पर प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस संदर्भ में अभिलेखों से स्पष्ट है कि आलोच्य नाला निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति तत्कालीन अध्यक्ष, गाडा, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 11.01.08 एवं दिनांक 05.02.08 को प्रदान की गयी है। इस आधार पर उक्त कथन को स्वीकार योग्य माना गया।

(ii) उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध कोई टिप्पणी नहीं की गयी है जिसकी पुष्टि जाँच प्रतिवेदन से हुआ।

(iii) जाँच प्रतिवेदन की कंडिका 8.0.0(iii) में उल्लेखित है कि कोडेना पुल सह साइफन टूटने के कारण नाला में पूर्ण रूप से पानी नहीं आता है किन्तु बरसात के दिनों में घोड़ासहन नहर के पानी एवं अन्य कैचमेंट के पानी को रागी उप वितरणी में मोड़कर किसानो द्वारा पटवन कराया जाता है, को आंशिक स्वीकार योग्य माना गया क्योंकि उड़नदस्ता जाँच प्रतिवेदन की कंडिका 6.0.0 एवं निष्कर्ष कंडिका 9.0.0 (iii) में स्पष्ट उल्लेख है कि फिल्ड चैनल नाला का आंशिक उपयोग हो रहा है।

(iv) कार्यपालक अभियंता, त्रिवेणी नहर प्रमंडल, रक्सौल के पत्रांक–439, दिनांक 29.09.16 द्वारा प्रतिवेदित किया जाना कि कोडेना पुल सह साइफन के नीचे रॉगी वितरणी एवं मैनपुर उप वितरणी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

कार्यपालक अभियंता, त्रिवेणी नहर प्रमंडल, रक्सौल द्वारा अपने पत्रांक–439, दिनांक 29.09.2016 को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि त्रिवेणी मुख्य नहर के वि0दू0 293.00 पर अवस्थित कोडेना पूल सह साइफन की मरम्मति करा ली गयी है एवं यह चालू अवस्था में है तथा इस साइफन के नीचे रॉगी वितरणी एवं मैनपुर उप वितरणी में सिंचाई सुविधा दी जा रही है। चूँकि वर्तमान में आलोच्य निर्मित नाला से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ऐसी स्थिति में वर्तमान समय में प्रश्नगत नाला पर की गयी व्यय को अपव्यय माना जाना उचित नहीं होगा।

समीक्षोपरांत वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन नालों के निर्माण में अपव्यय होने के आरोप को संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते अप्रमाणित मानते हुए श्री तेजनारायण राम, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, अतिरिक्त प्रभारी क्षेत्रीय आयुक्त–सह–अध्यक्ष गाडा, मुजफ्फरपुर को आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री तेजनारायण राम, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता अतिरिक्त प्रभारी क्षेत्रीय आयुक्त–सह–अध्यक्ष, गाडा संप्रति मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, पटना को आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 611-571+10-**डी**0**टी**0**पी**0।
Website: http://egazette.bih.nic.in